


23/12/19

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। वाद में प्रतिवादी गणों की तलबी हेतु PIF सम्मान पेश करने हेतु बार-बार सम्मन दिखा जाने के उपरान्त भी PIF सम्मान पेश नहीं किये गये हैं। दिनांक 30/10/19 की आदेशिका में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि आगामी तारीख पेशी पर PIF सम्मान पेश नहीं करने पर C.P.C नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी। उसके उपरान्त भी PIF सम्मान पेश नहीं किये हैं। PIF सम्मान पेश नहीं करने से वादी का वाद NON COMPLAINT एवं अदम टाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। निष्पत्ति सरे इजालास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल सुभार होकर नम्बर से कप्त हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

